न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
~~45/2018~~ 31/2018	FSS ACT	04.07.2018	29-3-2023

1 वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1 आशु कुमार गर्ग पुत्र मनोहर लाल गर्ग उम्र 34 साल जाति महाजन निवासी पट्टी कलां बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स आशु एजेन्सी पट्टी कलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

2 मनोहरलाल गर्ग पुत्र रामनिववास गर्ग जाति महाजन निवासी पट पट्टी कलां बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) आशु एजेन्सी पट्टी कलां बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 29-3-2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकार पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्त 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है। जिसके अनुसार आवेदक दिनांक 10.04.2017 को लगभग 02:00 पीएम पर मैसर्स आशु एजेन्सी पट्टी कलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर पहुँचा वहा पर आशु कुमार गर्ग पुत्र मनोहर लाल गर्ग उम्र 34 वर्ष जाति महाजन निवासी पट्टी कलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर (756) 500 ग्राम के लगभग 15 पैकेट्स दुकान की रेक मे रखे हुए थे के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0–5अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर (756) 500 ग्राम के चार पेकेट वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 280 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर (756) 500 ग्राम के चार पेकेट को मूल ही लेकर प्रत्येक को प्लास्टीक के जारों में रखकर मैने द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया नमूना भाग को मौटे खादी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1116 प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये गये तथा नमूने का पूर्व विवरण लिखकर मैने द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पडकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता आशु कुमार गर्ग पुत्र मनोहर लाल गर्ग ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/2234 दिनांक 10.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोट से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 238/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/266 दिनांक 03.05.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर (756) मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संनग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आशु एजेन्सी पट्टी कलां बामनवास जिला सवाई माधोपुर को खाद्य पदार्थ (756) के क्रय बिल हेतु कई पत्र लिखे जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है बार–बार पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी कोई भी बिल प्रस्तुत नही किया गया है अतः आशु एजेन्सी को अन्तिम पार्टी मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की गई। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2017/2234 दिनांक 10.05.2017 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3894 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तो ने मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) खाद्य पदार्थ मिर्च पावडर (756) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 6 की उप धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस के दौरान वकील अभियुक्तगण ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण ने कोई लूज माल विक्रय नही करते है अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की फर्म रजिस्टर्ड फर्म है जिसके पास खाद्य पदार्थ का वैद्य लाईसेंस है तथा खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन है प्रार्थीगण द्वारा कोई गलत कार्य या कारोबार नही किया जाता है प्रार्थीगण द्वारा सील बंद पेक माल ही विक्रय किया जाता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस मिर्च पावडर का सेंपल लेना बताया गया है वह प्रार्थीगण के यहा एम0बी0 डिस्ट्रीव्यूटर्स भारत मिल गंगापुर सिटी के यहां से जरिए बिल जायज प्रकार से खरीद किया गया था। जो माल जिस रूप में खरीद किया था उसी रूप में ग्राहकों को विक्रय किया गया है तथा उसी रूप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेंपल लेना बताया है इस तरह उक्त सेंपल वाले पदार्थ में किसी तरह की कोई स्टेण्डर्ड की कमी है तो इसके लिए प्रार्थीगण जिम्मेदार नही है खाद्य सुरक्षा श्री वेद प्रकार पूर्विया ने कुछ कागजों पर जबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाये थे। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कोई खाद्य पदार्थ विक्रय किया है ना ही कोई विक्रय राशि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को दी गई। उक्त प्रकरण की कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई नियमों की अवहेलना की है इस कारण कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करते है प्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्त की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक 238/FSSA/KOTA/ACT/2017/266 दिनांक 03.05.2017 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"**Opinion**- The sample of "**Chilli Powder (756)** bearing Code No. and Sr. No. **H-1116** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is **Misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the food safety & standards act 2006."**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक गिर्च पावडर (756) का सेम्पल SERIAL NO. H-1116 [MIS-BRANDED] पाया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा गिसब्रान्डेड (**Mis-Branded**) प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्तगण द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। लेकिन अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए। अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्तगण को 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29-3-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)